

**आदेश:-**

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार चयन वर्ष 2021-22 की रिक्तियों के सापेक्ष कराये गये चयनोपरान्त विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक (वेतन बैंड-1-5200-20200 सादृश्य ग्रेड वेतन 2800) लेवल-5 के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुये अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्रम संख्या	ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/ पति का नाम/ सर्वश्री/श्रीमती/कु0	वर्तमान तैनाती / जोन का नाम
01	02	03	04
01	2790	शैलेन्द्र कुमार शर्मा / स्व0 योगेन्द्र कुमार शर्मा	मथुरा
02	2869	अरुणा / इन्द्रजीत	अलीगढ़
03	2997	प्रणय आर्या / स्व0 विनोद कुमार आर्या	गाजियाबाद
04	4024	साजिद चौधरी / स्व0 मो0 इशाक	गाजियाबाद
05	4028	कुमुद त्यागी / स्व0 अतुल त्यागी	गाजियाबाद
06	4032	अमित गौतम / स्व0 जगत सिंह	गाजियाबाद

2- उपरोक्त क्रमांक-01 (ज्येष्ठता क्रमांक-2790) पर अंकित कार्मिक को दिनांक 31-03-2017 से, क्रमांक-03 (ज्येष्ठता क्रमांक-2997) पर अंकित कार्मिक को दिनांक 16-03-2021 से तथा क्रमांक-04 (ज्येष्ठता क्रमांक-4024), क्रमांक-05 (ज्येष्ठता क्रमांक-4028) व क्रमांक-06 (ज्येष्ठता क्रमांक-4032) पर अंकित कार्मिक को दिनांक 18-08-2021 से वरिष्ठ सहायक के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाती है। “नो वर्क नो पे” के सिद्धान्त के आधार पर नोशनल पदोन्नति के लिए इन्हें कोई परियर आदि का भुगतान देय नहीं होगा।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी / सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस आदि निर्गत हो, सतर्कता जाँच / ई0ओ0डब्ल्यू0 जाँच चल रही हो, तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराएं और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।

4- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही वरिष्ठ सहायक के पद पर दिनांक 13-05-2022 तक कार्यभार ग्रहण करायें तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उससे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके दिनांक 16-05-2022 तक अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायें।

5- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेंगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक/उक्त ।**

**प्रतिलिपि** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, जोन-अलीगढ़ / जोन-प्रथम/द्वितीय गाजियाबाद ।
- 3- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सम्भाग-मथुरा / सम्भाग-एबी अलीगढ़, सम्भाग-एबी/सी गाजियाबाद ।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी, वाणिज्य कर, मथुरा / अलीगढ़ / गाजियाबाद ।
- 6- आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मथुरा / अलीगढ़ / गाजियाबाद ।
- 7- चरित्र पंजिका सेल (स्थापना अराजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय ।
- 8- पटल प्रभारी स्था-4(क), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 9- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से) ।

(पी0एन0यादव)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर,  
मुख्यालय, लखनऊ ।